डीजी-परिपत्र संख्याः 1/2012

अतुल
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जनवरी 23, 2012

प्रिय महोदय,

कृपया प्रदेश के कुछ जनपदों में अवैध शराब की भारी मात्रा में बरामदगी हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी विधान सभा चुनाव प्रभावित करने के लिए कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब प्रलोभन स्वरूप वितरित की जा रही है। इस ओर विशेष सतर्कता बरतने की परम आवश्यकता है।

2. ऐसे कृत्यों से अपराध एवं कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है और यह न केवल जघन्य अपराध हैं बल्कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी है।

3. संज्ञान में यह बात भी आयी है कि प्रदेश के बाहर से रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं मिथाइल अल्कोहल के टैंकर प्रदेश में यात्रा के दौरान राजमार्ग पर स्थित ढाबों में रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं मिथाइल अल्कोहल का कुछ भाग निकाल लेते हैं जो अवैध शराब बनाने के काम में लाया जाता है। इस तरह की शिकायतें तमकूहीराज--गोरखपुर राजमार्ग, झांसी--ग्वालियर--दिल्ली राजमार्ग से विशेषकर प्राप्त हुईं हैं।

4. इस मुख्यालय से समय-समय निर्गत पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं फिर भी उन पर प्रभावी कार्यवाही अमल में नहीं लायी जा रही है। यहां यह भी स्पष्ट करना है कि आपके अधिकार क्षेत्र में अवैध शराब से मृत्यु की घटनाओं में न केवल सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी तय की जायेगी वरन् पर्यवेक्षण अधिकारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आबकारी विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर संयुक्त टीमों द्वारा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री वाले स्थानों एवं संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भली भांति निर्देशित कर दिया जाय।

एडीजी अ0शा0 परिपत्र सं0-11/07 दि0 21.9.07
परिपत्र संख्याः 98/07 दि0 2.12.07
अशा0 पत्र संख्याः एस-12(187)/07 दि0 3.3.08
अशा0 पत्र संख्याः एस-12(187)/08 दि0 11.11.08
अशा0 पत्र संख्याः एस-12(187)/08 दि0 25.3.09
अ0शा0 पत्र संख्याः एस-12(116)/07 दि0 3.4.09
अशा0 पत्र संख्याः एस-12(187)/07 दि0 8.8.09
अशा0 पत्र संख्याः एस-12(207)/09 दि0 14.9.09
अशा0 पत्र संख्याः एस-12(207)/09 दि0 25.9.09
एडीजी अ0शा0 परिपत्र सं0-2/10 दि0 26.2.10
अ0शा0 सत्र संख्याः एस-3(208)/10 दि018.09.10
डीजी परिपत्र संख्याः 11/2011 दिनांक 10.05.11

5. इस सम्बन्ध में मैं आगाह करना चाहूंगा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही अक्षम्य होगी।

भवदीय,
अतुल 23.1
(अतुल)

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0 (नाम से)।

प्रतिलिपि-समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश को तदनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

SEC-7-3A\Rbsinghji\hira lal\D.O. sharab.doc

Scanned by CamScanner